Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Research Article

21वीं सदी में पण्डित गोविन्दबल्लभ पंत के विचारों की प्रासंगिकता

पूजा [1*], डॉ. अमित भारद्वाज [2]

[1] शोधकत्री, श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, गजरौला, उत्तर प्रदेश, भारत

[2] शोध पर्यवेक्षक, श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, गजरौला, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author: * पूजा

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21933712

सारांश

पण्डित गोविन्दबल्लभ पंत आधुनिक भारत के उन प्रमुख राष्ट्रनिर्माताओं में सम्मिलित थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन, लोकतांत्रिक राजनीति, सामाजिक सुधार, भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, शिक्षा, भाषा, राष्ट्रीय एकता तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व के क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। उनका सार्वजनिक जीवन केवल औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष तक सीमित नहीं था, बल्कि स्वतंत्र भारत की प्रशासनिक, संवैधानिक और सामाजिक संरचना के निर्माण से भी गहराई से जुड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और बाद में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती, जमींदारी उन्मूलन, किसानों के अधिकारों, हिन्दी के विकास, राज्यों के पुनर्गठन और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कार्य किया। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य पण्डित गोविन्दबल्लभ पंत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, भाषायी एवं प्रशासनिक विचारों का विश्लेषण करते हुए 21वीं सदी के भारत में उनकी प्रासंगिकता को स्पष्ट करना है। यह अध्ययन ऐतिहासिक, वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध-पद्धति पर आधारित है। अध्ययन में पंत के चयनित भाषणों, पत्रों, सरकारी दस्तावेजों, संविधान, भूमि सुधार से संबंधित विधायी अभिलेखों तथा उपलब्ध द्वितीयक साहित्य का उपयोग किया गया है। ऽअध्ययन से स्पष्ट होता है कि लोकतांत्रिक शुचिता, उत्तरदायी शासन, सामाजिक न्याय, ग्रामीण आत्मनिर्भरता, किसान कल्याण, मातृभाषा में प्रशासन, राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित पंत के विचार आज भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। साथ ही उनकी भाषा और केंद्रीकृत प्रशासन संबंधी धारणाओं को वर्तमान बहुभाषिक, संघीय और वैश्विक संदर्भ में संतुलित रूप से पुनर्व्याख्यायित करने की आवश्यकता है। निष्कर्षतः पंत का चिंतन 21वीं सदी में संवैधानिक लोकतंत्र, समावेशी विकास, नैतिक राजनीति और उत्तरदायी लोक प्रशासन के लिए उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करता है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2584-184X
- **Received:** 07-06-2026
- **Accepted:** 09-08-2026
- **Published:** 14-08-2026
- **MRR:**4(8); 2026: 101-106
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

पूजा, भारद्वाज अ. 21वीं सदी में पण्डित गोविन्दबल्लभ पंत के विचारों की प्रासंगिकता. Indian J Mod Res Rev. 2026;4(8):101-106.

Access this Article Online

www.mrrjournal.in

मुख्य शब्द: गोविन्दबल्लभ पंत, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, भूमि सुधार, राजभाषा, राष्ट्रीय एकता, सुशासन, ग्रामीण विकास।

© 2026 पूजा, डॉ. अमित भारद्वाज. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. प्रस्तावना

भारत के राष्ट्रीय आंदोलन ने केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि एक ऐसे समाज की कल्पना भी प्रस्तुत की जो लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण, समानतामूलक और मानवीय मूल्यों पर आधारित हो। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद और डॉ. भीमराव आंबेडकर जैसे राष्ट्रीय नेताओं के साथ पण्डित गोविन्दबल्लभ पंत ने भी स्वतंत्र भारत के वैचारिक एवं संस्थागत निर्माण में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। उनका व्यक्तित्व स्वतंत्रता सेनानी, कुशल अधिवक्ता, सामाजिक सुधारक, प्रभावशाली विधायक, मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में बहुआयामी था।

पंत का जन्म 10 सितम्बर, 1887 को तत्कालीन संयुक्त प्रान्त के अल्मोड़ा क्षेत्र के खूंट गाँव में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने काशीपुर में वकालत प्रारम्भ की। उन्होंने कुली-बेगार जैसी अन्यायपूर्ण औपनिवेशिक प्रथाओं के विरुद्ध जनजागरण किया और असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, साइमन कमीशन विरोध तथा भारत छोड़ो आंदोलन जैसी राष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लिया। वे संयुक्त प्रान्त के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और जनवरी 1955 से मार्च 1961 तक भारत के केंद्रीय गृह मंत्री रहे। उन्हें 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया (Bakshi, 1990; Nanda, 1993)। गृह मंत्रालय की आधिकारिक सूची भी उन्हें वर्ष 1957 का भारत रत्न प्राप्तकर्ता दर्ज करती है।

21वीं सदी का भारत तीव्र आर्थिक विकास, नगरीकरण, तकनीकी परिवर्तन और वैश्वीकरण के साथ-साथ सामाजिक असमानता, बेरोजगारी, कृषि संकट, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, क्षेत्रीय असंतुलन, भाषायी विवाद, सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक ध्रुवीकरण जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन परिस्थितियों में पंत के विचारों का अध्ययन केवल ऐतिहासिक स्मरण नहीं है, बल्कि समकालीन राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए वैचारिक आधार खोजने का प्रयास भी है।

2. अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. पण्डित गोविन्दबल्लभ पंत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भाषायी और प्रशासनिक विचारों का अध्ययन करना।
2. लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, भूमि सुधार तथा ग्रामीण विकास संबंधी उनके विचारों का विश्लेषण करना।
3. राष्ट्रीय एकता, राजभाषा और संघीय प्रशासन के क्षेत्र में उनके योगदान का मूल्यांकन करना।
4. 21वीं सदी की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक चुनौतियों के संदर्भ में उनके विचारों की प्रासंगिकता स्पष्ट करना।
5. पंत के विचारों की समकालीन उपयोगिता के साथ उनकी सीमाओं का आलोचनात्मक परीक्षण करना।

3. शोध-पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन ऐतिहासिक, वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक शोध-पद्धति पर आधारित है। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोतों में पण्डित गोविन्दबल्लभ पंत के भाषण, वक्तव्य, पत्र, चयनित रचनाएँ, सरकारी अधिनियम, राजभाषा संबंधी दस्तावेज और उत्तर प्रदेश विधानमंडल के अभिलेख सम्मिलित हैं। द्वितीयक स्रोतों में उनकी जीवनियों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भूमि सुधार, राष्ट्र निर्माण और प्रशासन से संबंधित पुस्तकों तथा शोधात्मक आलेखों का अध्ययन किया गया है।

अध्ययन में विषयवस्तु विश्लेषण पद्धति द्वारा पंत के विचारों को लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, कृषि एवं ग्रामीण विकास, शिक्षा, भाषा, राष्ट्रीय एकता, सुशासन और नैतिक राजनीति जैसे प्रमुख आयामों में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद इन विचारों की तुलना 21वीं सदी के भारत की आवश्यकताओं और समस्याओं से की गई है।

4. पण्डित गोविन्दबल्लभ पंत का वैचारिक व्यक्तित्व

पंत का चिंतन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, गांधीवादी नैतिकता, संवैधानिक लोकतंत्र और व्यावहारिक प्रशासन के समन्वय से निर्मित हुआ था। वे महात्मा गांधी के अहिंसक संघर्ष और जनभागीदारी से प्रभावित थे, परंतु शासन एवं प्रशासन के क्षेत्र में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक था। उनका मानना था कि स्वतंत्रता केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है; वास्तविक स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी जब समाज के कमजोर, गरीब, किसान और वंचित वर्गों को सम्मानजनक जीवन प्राप्त हो।

उनकी राजनीति में आदर्शवाद और व्यावहारिकता का संतुलन दिखाई देता है। वे सामाजिक परिवर्तन चाहते थे, किंतु उसके लिए संवैधानिक और लोकतांत्रिक माध्यमों को प्राथमिकता देते थे। वे शासन को शक्ति-प्रदर्शन का साधन नहीं, बल्कि जनसेवा का दायित्व मानते थे। उनके भाषणों में प्रशासनिक अनुशासन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सहयोग और नागरिक कर्तव्यों पर बार-बार बल मिलता है (Pant, 1954; Pant & Nanda, 1993)।

पंत ने औपनिवेशिक शासन के विरोध में संघर्ष करते हुए यह अनुभव किया था कि राजनीतिक अधिकारों से वंचित समाज में प्रशासन जनता से दूर और दमनकारी हो जाता है। इसी कारण स्वतंत्रता के बाद उन्होंने प्रशासन को लोकतांत्रिक बनाने, जनप्रतिनिधियों को उत्तरदायी बनाने और विकास को गाँवों तक पहुँचाने का प्रयास किया।

5. लोकतंत्र और जनभागीदारी संबंधी विचारों की प्रासंगिकता

पन्त लोकतंत्र को केवल चुनावों और विधायी संस्थाओं तक सीमित नहीं मानते थे। उनके लिए लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ जनता की सक्रिय भागीदारी, सार्वजनिक संस्थाओं की जवाबदेही, असहमति के प्रति सम्मान और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा था। संयुक्त प्रान्त की विधान परिषद और विधान सभा में उनकी भूमिका संसदीय परंपराओं, विचार-विमर्श और विधायी उत्तरदायित्व के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 21वीं सदी में भारतीय लोकतंत्र का विस्तार हुआ है, किंतु उसके सामने अनेक चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं। चुनावों में धनबल, बाहुबल, भ्रामक सूचनाएँ, सामाजिक माध्यमों द्वारा राजनीतिक ध्रुवीकरण, दल-बदल, जनप्रतिनिधियों की घटती जवाबदेही और संसदीय बहस के स्तर में गिरावट लोकतांत्रिक संस्कृति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में पंत का संवाद, सहमति, वैधानिक प्रक्रिया और सार्वजनिक उत्तरदायित्व पर आधारित लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अत्यंत प्रासंगिक है।

© 2026 पूजा, डॉ. अमित भारद्वाज. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

उनके विचार बताते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार को आलोचना से भयभीत होने के स्थान पर उसे सुधार के साधन के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जनता और प्रशासन के बीच संवाद, निर्णयों की पारदर्शिता तथा नीतियों में नागरिक भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत होता है। डिजिटल शासन के वर्तमान युग में ऑनलाइन जनसुनवाई, सामाजिक अंकेक्षण, सूचना के अधिकार, खुला सरकारी आँकड़ा और सहभागी बजट जैसी व्यवस्थाएँ पंत की जनकेंद्रित शासन-दृष्टि का आधुनिक विस्तार मानी जा सकती हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन भी आवश्यक है। पंत अधिकारों के साथ कर्तव्यों, अनुशासन और राष्ट्रीय जिम्मेदारी को महत्त्व देते थे। वर्तमान में संविधान के प्रति निष्ठा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, कर भुगतान, मतदान, सामाजिक सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण जैसे नागरिक कर्तव्यों को प्रोत्साहित करने में उनका दृष्टिकोण प्रेरणादायक है।

6. सामाजिक न्याय और जमींदारी उन्मूलन

पंत के राजनीतिक जीवन की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार सम्मिलित हैं। औपनिवेशिक काल में जमींदारी व्यवस्था ने भूमि का स्वामित्व सीमित वर्ग के हाथों में केंद्रित कर दिया था। वास्तविक खेती करने वाले किसान आर्थिक शोषण, बेदखली, अत्यधिक लगान और सामाजिक असुरक्षा का सामना करते थे। पंत का मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा रहेगा जब तक आर्थिक और सामाजिक संबंधों में व्याप्त सामंती विषमता समाप्त नहीं होती।

उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार विधेयक तैयार किया गया। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आधिकारिक विवरण के अनुसार 1950 में इस विधेयक पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ और इसके माध्यम से जमींदारों तथा ताल्लुकेदारों को मध्यस्थ भू-स्वामित्व से पृथक करते हुए काश्तकारों के अधिकारों को मान्यता दी गई। यह कदम स्वतंत्र भारत के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की दिशा में क्रांतिकारी था।

21वीं सदी में जमींदारी व्यवस्था अपने पुराने रूप में विद्यमान नहीं है, किंतु भूमि असमानता, भूमिहीनता, सीमांत खेती, अनियमित पट्टेदारी, कृषि ऋण, विस्थापन और भूमि अभिलेखों की समस्याएँ बनी हुई हैं। पंत का भूमि सुधार संबंधी दृष्टिकोण इस सिद्धांत पर आधारित था कि संसाधनों का उपयोग कुछ लोगों के विशेषाधिकार के बजाय व्यापक सामाजिक कल्याण के लिए होना चाहिए। आज उनके विचारों की प्रासंगिकता डिजिटल भूमि अभिलेख, पारदर्शी भू-अधिग्रहण, महिला किसानों के भूमि अधिकार, बटाईदारों की कानूनी सुरक्षा और भूमिहीन परिवारों के पुनर्वास में दिखाई देती है। विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करते समय उचित मुआवजा, पुनर्वास और स्थानीय समुदाय की सहमति सुनिश्चित करना भी सामाजिक न्याय की उसी भावना का आधुनिक रूप है।

7. किसान कल्याण, सहकारिता और ग्रामीण आत्मनिर्भरता

पंत भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि और गाँवों की केंद्रीय भूमिका को समझते थे। उनका मत था कि राष्ट्र की आर्थिक प्रगति तभी स्थायी हो सकती है जब किसान शिक्षित, संगठित और आत्मनिर्भर हों। वे कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ किसानों की सामाजिक स्थिति, ग्रामीण शिक्षा, सहकारी संस्थाओं और स्थानीय उद्योगों के विकास पर भी बल देते थे।

उनके शासनकाल में कृषि सुधार, सिंचाई, ग्रामीण सड़क, सहकारिता और कृषि शिक्षा से संबंधित प्रयास किए गए। पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रारंभिक प्रक्रिया उनके विकास-दृष्टिकोण से जुड़ी थी। विश्वविद्यालय के आधिकारिक इतिहास में पंत को तत्कालीन उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के रूप में इस कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया का प्रमुख प्रेरक माना गया है।

वर्तमान भारत में कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, घटते भूजल, छोटे जोत-आकार, उत्पादन लागत, बाजार अस्थिरता और किसानों की आय से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहा है। पंत की सहकारिता और सामूहिक प्रयास की अवधारणा किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी कृषि, सामुदायिक सिंचाई और साझा कृषि यंत्र केंद्रों के रूप में पुनः उपयोगी हो सकती है। ग्रामीण आत्मनिर्भरता का अर्थ गाँवों को आधुनिक विकास से अलग करना नहीं है। इसका अर्थ है कि गाँवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि प्रसंस्करण, डिजिटल संपर्क और स्थानीय उद्यम के अवसर उपलब्ध हों। पंत की ग्रामीण दृष्टि को वर्तमान समय में कृषि-आधारित उद्योग, स्थानीय उत्पादों के मूल्य संवर्धन, डिजिटल बाजार, जैविक खेती और ग्रामीण कौशल विकास से जोड़ा जा सकता है।

8. शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण

पंत शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय चेतना और लोकतांत्रिक नागरिकता के निर्माण का प्रमुख माध्यम मानते थे। अपने सार्वजनिक जीवन के आरंभिक चरण से ही उन्होंने विद्यालयों की स्थापना, शिक्षा के प्रसार और वंचित वर्गों तक शिक्षण सुविधाएँ पहुँचाने का समर्थन किया। उनके लिए शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि व्यक्ति में विवेक, अनुशासन, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्रीय चरित्र का विकास करना था।

21वीं सदी ज्ञान और प्रौद्योगिकी की सदी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन, डिजिटल संचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा ने शिक्षा की प्रकृति को परिवर्तित कर दिया है। इसके बावजूद ग्रामीण-नगरीय अंतर, डिजिटल असमानता, विद्यालय छोड़ने की समस्या, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी और भाषा संबंधी बाधाएँ बनी हुई हैं। पंत की सर्वसुलभ और जनोन्मुख शिक्षा की धारणा इन समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी मातृभाषा में शिक्षा, बहुविषयक ज्ञान, कौशल विकास, समानता, समावेशन और भारतीय ज्ञान परंपरा पर बल देती है (भारत सरकार, 2020)। ये तत्व पंत के शिक्षा संबंधी विचारों से साम्य रखते हैं। शिक्षा को लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक कर्तव्यों, सामाजिक सद्भाव और व्यावहारिक कौशल से जोड़ना आज विशेष रूप से आवश्यक है। पंत की दृष्टि में शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का साधन थी। इसलिए 21वीं सदी में निर्धन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, दिव्यांग और दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करना उनके चिंतन की वास्तविक अभिव्यक्ति होगी।

© 2026 पूजा, डॉ. अमित भारद्वाज. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

9. हिन्दी, मातृभाषा और बहुभाषिक भारत

पण्डित गोविन्दबल्लभ पंत हिन्दी के प्रबल समर्थक थे। वे मानते थे कि लोकतांत्रिक शासन की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे सामान्य जनता समझ सके। विदेशी भाषा पर अत्यधिक निर्भर प्रशासन जनता और शासन के बीच दूरी उत्पन्न करता है। उत्तर प्रदेश में 1950 में भाषा संबंधी विधायी व्यवस्था द्वारा सरकारी कार्यों और विधेयकों में देवनागरी लिपि की हिन्दी को प्रोत्साहित किया गया।

केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में पंत ने राजभाषा संबंधी संवैधानिक व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन में भूमिका निभाई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के रूप में देवनागरी लिपि में हिन्दी का प्रावधान करता है, जबकि अन्य संवैधानिक प्रावधान भारतीय भाषाओं के विकास और भाषायी विविधता की रक्षा करते हैं (भारत सरकार, 2026)। आधिकारिक भाषा संबंधी संसदीय प्रक्रिया में तत्कालीन गृह मंत्री पंत द्वारा समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने का उल्लेख भी सरकारी अभिलेखों में मिलता है।

21वीं सदी में भाषा का प्रश्न केवल हिन्दी बनाम अंग्रेज़ी का प्रश्न नहीं है। यह ज्ञान तक पहुँच, डिजिटल समावेशन, रोजगार, न्याय और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है। पंत के विचारों का सार यह था कि प्रशासन और शिक्षा जनता की समझ की भाषा में होनी चाहिए। इसलिए आज हिन्दी के साथ-साथ तमिल, बंगला, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, असमिया, उर्दू, पंजाबी और अन्य भारतीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री, ई-शासन, न्यायिक जानकारी और वैज्ञानिक साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

पंत की हिन्दी समर्थक दृष्टि की समकालीन व्याख्या भाषायी प्रभुत्व के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय भाषाओं की सामूहिक उन्नति के रूप में की जानी चाहिए। हिन्दी संपर्क भाषा की भूमिका निभा सकती है, किंतु उसे अन्य भारतीय भाषाओं के सम्मान और संवैधानिक अधिकारों के साथ संतुलित रखना आवश्यक है। बहुभाषिक तकनीक, अनुवाद, भाषा-आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्थानीय भाषा में ऑनलाइन सेवाएँ उनके विचारों को अधिक समावेशी रूप प्रदान कर सकती हैं।

10. राष्ट्रीय एकता और राज्यों का पुनर्गठन

स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने राष्ट्रीय एकीकरण, प्रशासनिक पुनर्संरचना और भाषायी आकांक्षाओं के समायोजन की चुनौती थी। केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में पंत ने राज्यों के पुनर्गठन से जुड़ी जटिल प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के माध्यम से भाषायी एवं प्रशासनिक आधारों पर भारतीय राज्यों की सीमाओं में व्यापक परिवर्तन किया गया। यह अधिनियम गृह मंत्रालय के राज्यों से संबंधित विभाग के अधीन लागू हुआ था।

पंत की दृष्टि में विविधता और राष्ट्रीय एकता परस्पर विरोधी नहीं थे। क्षेत्रीय पहचान, भाषा और संस्कृति को सम्मान देते हुए भी राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखी जा सकती है। उनका प्रयास था कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संवैधानिक प्रक्रिया के भीतर समाधान मिले, जिससे अलगाव और हिंसक संघर्ष की संभावनाएँ कम हों।

21वीं सदी में क्षेत्रीय असमानता, अंतरराज्यीय जल विवाद, सीमा विवाद, प्रवासन, संसाधन-वितरण और स्थानीय स्वायत्तता के प्रश्न संघीय व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। पंत की संवैधानिक संवाद, प्रशासनिक संतुलन और राष्ट्रीय एकीकरण की नीति सहकारी संघवाद के लिए उपयोगी है। केंद्र और राज्यों के संबंध आदेश और नियंत्रण पर नहीं, बल्कि सहयोग, परामर्श और साझा उत्तरदायित्व पर आधारित होने चाहिए। राज्यों की सांस्कृतिक विशिष्टता का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिक अधिकारों की समानता बनाए रखना आज भी आवश्यक है। अंतरराज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषदों, नीति-निर्माण में राज्यों की भागीदारी और वित्तीय विकेंद्रीकरण को मजबूत करना पंत के राष्ट्रीय एकता संबंधी विचारों का समकालीन रूप हो सकता है।

11. सुशासन और प्रशासनिक उत्तरदायित्व

पंत एक कुशल प्रशासक के रूप में प्रसिद्ध थे। वे प्रशासन में अनुशासन, दक्षता, निष्पक्षता और जनहित को प्राथमिकता देते थे। उनकी दृष्टि में सरकारी अधिकारी जनता के स्वामी नहीं, बल्कि सेवक हैं। शासन की सफलता का मूल्यांकन नीतियों की घोषणाओं से नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन में आए वास्तविक सुधारों से किया जाना चाहिए।

21वीं सदी में ई-शासन, डिजिटल सेवाएँ और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी व्यवस्थाओं ने प्रशासन को अधिक तेज बनाया है। फिर भी भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, योजनाओं के कमजोर क्रियान्वयन, डेटा की गोपनीयता, डिजिटल बहिष्करण और अधिकारियों की संवेदनहीनता जैसी समस्याएँ विद्यमान हैं। पंत का उत्तरदायित्व आधारित प्रशासन इन समस्याओं के समाधान के लिए अत्यंत उपयोगी है।

उनकी दृष्टि के अनुसार प्रशासनिक अधिकारी को कानून का पालन करने के साथ मानवीय संवेदना भी रखनी चाहिए। किसी योजना की तकनीकी सफलता तभी अर्थपूर्ण है जब उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। डिजिटल प्रशासन में ऑनलाइन पोर्टल के साथ प्रत्यक्ष सहायता केंद्र, स्थानीय भाषा, दिव्यांग-अनुकूल व्यवस्था और शिकायत निवारण की प्रभावी प्रणाली आवश्यक है। प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए सरकारी निर्णयों, बजट, निविदाओं और योजनागत प्रगति की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। स्वतंत्र जाँच संस्थाओं, लोकायुक्त, सूचना आयोग, सामाजिक अंकेक्षण और नागरिक घोषणापत्र को मजबूत करना पंत की उत्तरदायी प्रशासन संबंधी भावना के अनुरूप है।

12. धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सद्भाव

भारत का विभाजन धार्मिक हिंसा, विस्थापन और अविश्वास की पीड़ादायक पृष्ठभूमि में हुआ था। ऐसी परिस्थितियों में पंत ने राष्ट्रीय एकता और कानून-व्यवस्था के साथ सामाजिक सद्भाव को महत्त्व दिया। वे मानते थे कि नागरिकता का आधार धर्म, जाति या भाषा नहीं, बल्कि राष्ट्र और संविधान के प्रति समान निष्ठा होनी चाहिए।

21वीं सदी में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, घृणास्पद भाषण, भ्रामक डिजिटल सामग्री और पहचान-आधारित राजनीति सामाजिक एकता को चुनौती दे रहे हैं। पंत का दृष्टिकोण बताता है कि राज्य को धार्मिक मामलों में निष्पक्ष रहते हुए प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। कानून-व्यवस्था की कार्रवाई भेदभावपूर्ण या राजनीतिक प्रभाव से संचालित नहीं होनी चाहिए।

सामाजिक सद्भाव केवल हिंसा के अभाव का नाम नहीं है। इसके लिए विभिन्न समुदायों के बीच संवाद, साझा नागरिकता, समान अवसर और सांस्कृतिक सम्मान आवश्यक है। विद्यालयी शिक्षा में संवैधानिक

© 2026 पूजा, डॉ. अमित भारद्वाज. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

मूल्यों, विविधता, सहिष्णुता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्थान दिया जाना चाहिए। राजनीतिक नेतृत्व को ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो समाज को जोड़ने का कार्य करे। पंत के राष्ट्रीय एकता संबंधी विचार आज यह संदेश देते हैं कि भारत की शक्ति उसकी बहुलता में निहित है। किसी एक पहचान को राष्ट्र की एकमात्र पहचान मानना भारतीय सभ्यता और संविधान दोनों की समावेशी भावना के विपरीत होगा।

13. नैतिक राजनीति और सार्वजनिक जीवन

पंत का सार्वजनिक जीवन सादगी, अनुशासन, परिश्रम और कर्तव्यनिष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करता है। वे राजनीति को व्यक्तिगत लाभ या प्रतिष्ठा का माध्यम नहीं, बल्कि जनसेवा का क्षेत्र मानते थे। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े नेताओं के लिए राजनीति नैतिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रीय समर्पण का पर्याय थी।

वर्तमान राजनीति में अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, अवसरवाद, दल-बदल, व्यक्तिपूजा और चुनावी व्यय की बढ़ती भूमिका चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति में पंत की राजनीति का अध्ययन सार्वजनिक जीवन में नैतिकता की पुनर्स्थापना के लिए महत्त्वपूर्ण है। राजनीतिक पद पर आसीन व्यक्ति को अपने निजी हितों से ऊपर उठकर संविधान, कानून और जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।

नैतिक राजनीति का अर्थ केवल व्यक्तिगत ईमानदारी नहीं है। इसमें नीति-निर्माण की पारदर्शिता, चुनावी वित्त का नियमन, हितों के टकराव की घोषणा, सार्वजनिक संस्थाओं की स्वायत्तता और राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र भी सम्मिलित हैं। पंत के आदर्शों के अनुरूप राजनीति में संवाद, वैचारिक असहमति का सम्मान और विरोधियों के प्रति लोकतांत्रिक मर्यादा आवश्यक है। युवा पीढ़ी को उनके जीवन से यह प्रेरणा मिलती है कि नेतृत्व भाषण, प्रचार और लोकप्रियता से नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में किए गए उत्तरदायी निर्णयों से निर्मित होता है।

14. महिला सशक्तीकरण और समानता

पंत के सामाजिक सुधार संबंधी विचारों में महिलाओं की शिक्षा, सम्मान और सार्वजनिक भागीदारी का समर्थन दिखाई देता है। उनका दृष्टिकोण उस समय के संदर्भ में प्रगतिशील था, जब महिलाओं की शिक्षा और सार्वजनिक उपस्थिति सीमित थी। वे समाज के आधुनिकीकरण को महिलाओं की उन्नति से अलग नहीं मानते थे।

21वीं सदी में महिलाओं ने शिक्षा, विज्ञान, प्रशासन, राजनीति, सेना और व्यवसाय के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसके बावजूद लैंगिक हिंसा, वेतन असमानता, घरेलू श्रम की उपेक्षा, बाल विवाह, दहेज, कार्यस्थल उत्पीड़न और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं।

पंत की समानता और सामाजिक सुधार की भावना को वर्तमान समय में गुणवत्तापूर्ण बालिका शिक्षा, सुरक्षित सार्वजनिक स्थान, आर्थिक आत्मनिर्भरता, संपत्ति में अधिकार और निर्णय-निर्माण में समान भागीदारी से जोड़ा जा सकता है। महिला स्वयं सहायता समूह, सहकारी संस्थाएँ और स्थानीय निकायों में महिला नेतृत्व ग्रामीण परिवर्तन का प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। महिला सशक्तीकरण को केवल कल्याणकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रखना चाहिए। महिलाओं को अधिकार-संपन्न नागरिक, उत्पादक कार्यकर्ता और नीति-निर्माता के रूप में स्वीकार करना आवश्यक है। यही पंत की सामाजिक न्याय संबंधी व्यापक दृष्टि का आधुनिक विस्तार होगा।

15. स्थानीय स्वशासन और विकेंद्रीकरण

पंत लोकतंत्र की जड़ों को गाँवों और स्थानीय संस्थाओं में मजबूत करने के समर्थक थे। स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय समुदाय की भागीदारी से अधिक प्रभावी रूप से किया जा सकता है। पंचायतें, नगर निकाय और सहकारी संस्थाएँ नागरिकों को शासन से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ती हैं।

21वीं सदी में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, परंतु अनेक पंचायतों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्रशासनिक कर्मचारी और निर्णय लेने की वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है। स्थानीय निकायों को केवल योजनाओं के क्रियान्वयन की एजेंसी मानने के बजाय स्थानीय सरकार के रूप में विकसित करना आवश्यक है। पंत की विकेंद्रीकरण संबंधी सोच के अनुरूप ग्राम पंचायतों को स्थानीय नियोजन, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, कृषि सहायता और ग्रामीण रोजगार में अधिक अधिकार प्रदान किए जा सकते हैं। डिजिटल ग्राम सभा, सामाजिक अंकेक्षण और सार्वजनिक सूचना पट्ट पंचायतों की पारदर्शिता बढ़ा सकते हैं। विकेंद्रीकरण राष्ट्रीय एकता को कमजोर नहीं करता, बल्कि नागरिकों को शासन में भागीदार बनाकर लोकतंत्र को मजबूत करता है। स्थानीय स्वशासन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और वंचित समूहों की प्रभावी भागीदारी सामाजिक न्याय के लिए विशेष रूप से आवश्यक है।

16. 21वीं सदी में पंत के विचारों की प्रमुख उपयोगिता

पंत के विचारों की समकालीन उपयोगिता को निम्न क्षेत्रों में विशेष रूप से देखा जा सकता है—

- लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनविश्वास बनाए रखने के लिए पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और संवैधानिक मर्यादा आवश्यक है। पंत का संसदीय और प्रशासनिक जीवन इन मूल्यों का उदाहरण प्रस्तुत करता है।
- आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय आवश्यक है। भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और रोजगार के अवसरों तक समान पहुँच सुनिश्चित किए बिना विकास समावेशी नहीं हो सकता।
- किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय विकास के केंद्र में रखना आवश्यक है। सहकारिता, कृषि शिक्षा, स्थानीय प्रसंस्करण और ग्रामीण उद्यमिता पंत की सोच को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप आगे बढ़ा सकते हैं।
- प्रशासन और ज्ञान को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराना डिजिटल लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। हिन्दी सहित सभी भारतीय भाषाओं को तकनीक, न्याय, विज्ञान और शासन की सक्षम भाषा बनाया जाना चाहिए।
- क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन के लिए सहकारी संघवाद, संवैधानिक संवाद और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण की आवश्यकता है।
- राजनीति और प्रशासन में नैतिकता, सादगी तथा जनसेवा की भावना को पुनर्स्थापित करना आवश्यक है। पंत का जीवन बताता है कि सार्वजनिक नेतृत्व का वास्तविक आधार व्यक्तिगत प्रचार नहीं, बल्कि संस्थागत निर्माण और जनकल्याण है।

© 2026 पूजा, डॉ. अमित भारद्वाज. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

17. निष्कर्ष

पण्डित गोविन्दबल्लभ पंत स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रनिर्माता, सामाजिक सुधारक और कुशल प्रशासक थे। उनका चिंतन लोकतांत्रिक शासन, सामाजिक न्याय, किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, शिक्षा, राजभाषा, राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक उत्तरदायित्व के व्यापक प्रश्नों से संबंधित था। उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता को सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन से जोड़ते हुए यह स्पष्ट किया कि लोकतंत्र का वास्तविक उद्देश्य जनता के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और अवसरों का विस्तार करना है।

21वीं सदी में भारत तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास के नए अवसरों के साथ असमानता, कृषि संकट, सामाजिक ध्रुवीकरण, प्रशासनिक अविश्वास और भाषायी प्रश्नों का सामना कर रहा है। इन परिस्थितियों में पंत के विचार सुशासन, संवैधानिकता, सामाजिक न्याय और समावेशी राष्ट्रवाद का आधार प्रदान करते हैं। उनकी सबसे बड़ी प्रासंगिकता इस तथ्य में है कि उन्होंने राष्ट्र की एकता को विविधता के सम्मान, शासन की शक्ति को जनसेवा और आर्थिक विकास को सामाजिक न्याय से जोड़कर देखा।

हालाँकि उनके विचारों को यथावत लागू करने के स्थान पर वर्तमान लोकतांत्रिक, बहुभाषिक, संघीय और डिजिटल संदर्भ में पुनर्व्याख्यायित करना आवश्यक है। हिन्दी के विकास को बहुभाषिक समानता, मजबूत प्रशासन को नागरिक अधिकारों, राष्ट्रीय एकता को क्षेत्रीय स्वायत्तता और आर्थिक विकास को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संतुलित करना होगा।

अंततः कहा जा सकता है कि पण्डित गोविन्दबल्लभ पंत का जीवन और चिंतन अतीत की गौरवपूर्ण स्मृति मात्र नहीं है। यह उत्तरदायी शासन, नैतिक राजनीति, लोकतांत्रिक संवाद और सामाजिक समरसता की दिशा में समकालीन भारत के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956. विधायी विभाग एवं इंडिया कोड; 1956.
2. भारत सरकार. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. शिक्षा मंत्रालय; 2020.
3. भारत सरकार. भारत का संविधान: हिन्दी एवं अंग्रेज़ी द्विभाषी संस्करण. विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय; 2026.
4. भारत सरकार, गृह मंत्रालय. भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं की सूची. भारत सरकार; 2024.
5. भारत सरकार, राजभाषा विभाग. राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति का आदेश, 1960. गृह मंत्रालय; 1960.
6. पंत गोविन्दबल्लभ. पण्डित गोविन्दबल्लभ पंत के चयनित भाषण. सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश; 1954.
7. पंत गोविन्दबल्लभ. गोविन्दबल्लभ पंत के चयनित कार्य. नंदा बीआर, संपादक. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 1993.
8. Bakshi SR. Govind Ballabh Pant: The true Gandhian. Anmol Publications; 1990.
9. Government of India. National Education Policy 2020. Ministry of Education; 2020.
10. Government of India. The Constitution of India: Diglot Hindi and English edition. Legislative Department, Ministry of Law and Justice; 2026.
11. Ministry of Home Affairs. List of recipients of Bharat Ratna. Government of India; 2024.
12. Nanda BR, editor. Selected works of Govind Ballabh Pant. Oxford University Press; 1993.
13. Pant GB. Words that moved: Speeches of Pandit Govind Ballabh Pant. Information Directorate, Government of Uttar Pradesh; 1954.

Creative Commons License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

About the Author

पूजा श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, गजरौला, उत्तर प्रदेश, भारत में शोधकर्त्री हैं। वे अपने शोध कार्य के माध्यम से संबंधित विषय के गहन अध्ययन, विश्लेषण और अकादमिक ज्ञान के विकास में सक्रिय रूप से योगदान दे रही हैं। उनकी शोध रुचि नवीन विचारों, अनुसंधान एवं ज्ञानवर्धन पर केंद्रित है।

© 2026 पूजा, डॉ. अमित भारद्वाज. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/